संविधान नोट्स

महत्वपूर्ण अनुच्छेद

SARKARIRESULTGO.COM

SarkariResultGo.com

सरकारी रिज़ल्ट
SarkariResultGo.com
हर जानकारी, सबसे पहले, हिंदी में

SarkariResultGo.com

www.SarkariResultGo.com से फ्री में डाउनलोड करें!

अनुच्छेद 1:– संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 3:– नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों,सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 13:– मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में।

अनुच्छेद 14:– कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद 16:– सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता

अनुच्देछ 17:– अस्पर्श्यता का अंत

अनुच्छेद 19:– अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण

अनुच्छेद 21:– प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 21A:– प्राथमिक शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 25:– अंतरआत्मा की स्वतंत्रता मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 30:– अल्पसंख्यको को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने,उनका प्रशासन करने का अधिकार

अनुच्छेद 31C(खत्म):–कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या।

अनुच्छेद 32:– मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार।

SarkariResultGo.com

अनुच्छेद 40:– ग्राम पंचायतों का गठन।

अनुच्छेद 44:– नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।

अनुच्छेद 45:– 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।

अनुच्छेद 50:– कार्यपालिका से न्याय पालिका को अलग किया जाना।

अनुच्छेद 51:– अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद 51A:– मौलिक कर्तव्य।

अनुच्छेद 72:– राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे–क्षमा देना,सजा का निलंबन,कुछ मामलों में सजा का कुछ कम करना आदि प्रावधान।

अनुच्छेद 74:– राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।

अनुच्छेद 76:– भारत का महान्यायवादी।

अनुच्छेद 78:– राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

अनुच्छेद 108:– भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनो की संयुक्त बैठक से संबधिंत है।

अनुच्छेद 110:– धन विधेयकों की परिभाषा।

अनुच्छेद 112:– वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)।

SarkariResultGo.com

अनुच्छेद 123:–संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति।

अनुच्छेद 124:– सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 143:– सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

अनुच्छेद 148:– भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक(CAG)।

अनुच्छेद 149:– भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां।

अनुच्छेद 155:– राज्यपाल की नियुक्ति।

अनुच्छेद 161:– सजा को कम करने,टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति।

अनुच्छेद 163:– राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद।

अनुच्छेद 165:– राज्य के महाधिवक्ता ।

अनुच्छेद 167:– राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

अनुच्छेद 168:– राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था।

अनुच्छेद 178:– विधानसभा के स्पीकर और डिप्टीस्पीकर।

अनुच्छेद 194:– महाधिवक्ता की शक्तियां,विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता

SarkariResultGo.com

अनुच्छेद 202:– राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)।

अनुच्छेद 210:– राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा।

अनुच्छेद 212:– न्यायालयों को राज्य विधान मंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने की शक्ति।

अनुच्छेद 214:– राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था।

अनुच्छेद 226:– उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति।

अनुच्छेद 239AA:– दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 243B:– पंचायतों का गठन।

अनुच्छेद 243C:– पंचायतों की संरचना।

अनुच्छेद 249:– राज्य सूची के विषय के संबन्ध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति (यह केवल राज्यसभा का अधिकार है)।

अनुच्छेद 262:– अंतर–राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय।

अनुच्छेद 263:– अंतर–राज्यीय परिषद के संबध में प्रबंध।

अनुच्छेद 280:– वित्त आयोग की स्थापना।

अनुच्छेद 300A:– विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपित्ति में वंचित न किया जाना (संपत्ति का अधिकार)।

SarkariResultGo.com

अनुच्छेद 312:– अखिल भारतीय सेवाएं (राज्यसभा का अधिकार)।

अनुच्छेद 315:– संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोंग की स्थापना।

अनुच्छेद 324:–निर्वाचन के अधीक्षण,निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना (चुनाव से संबधित)।

अनुच्छेद 330:– लोकसभा में अनुसूचित जातियों और संबधित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।

अनुच्छेद 335:– सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे।

अनुच्छेद 352:– आपात की घोषणा (राष्ट्रीय आपात)।

अनुच्छेद 356:– राज्यों में संवेधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान (राष्ट्रपति शासन)।

अनुच्छेद 360:– वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध।

अनुच्छेद 365:– संघ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव (राष्ट्रपति शासन)।

अनुच्छेद 368:– संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया।

अनुच्छेद 370:– जम्मू–कश्मीर राज्य के संबध में अस्थाई प्रावधान।

SarkariResultGo.com